

## कार्यालय जिला कलेक्टर, जालोर (राज.)

क्रमांक : सतर्कता/राज.सम्पर्क/ऑनलाईन/2019/ 1043

दिनांक :- 14-6-2019

-: आदेश :-

राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं समस्याओं के त्वरित, गुणात्मक एवं सकारात्मक निराकरण हेतु व्यापक कार्यक्रम एकीकृत परिवाद निवारण प्रणाली 'संपर्क समाधान' के तहत श्रीमान् विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक निस/विस/मुमं./2014/106 जयपुर दिनांक 30.01.2014 एवं श्रीमान् मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(8)प्रसु/टाइम्स/2013 जयपुर दिनांक 18.08.2015 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में माह माह जून 2019 में दिनांक 13.06.2019 (गुरुवार) को 03.00 बजे से जिला कलेक्टर कार्यालय के अटल सेवा केन्द्र पर जिला स्तरीय 'सम्पर्क समाधान शिविर', 'राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं की समीक्षा बैठक', 'जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की मासिक बैठक' एवं 'जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की मासिक बैठक' का आयोजन अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित किया जायेगा।

अतः उक्त बैठकों में समस्त उपखण्ड स्तरीय अधिकारी निर्धारित समय पर संबंधित पंचायत समिति के अटल सेवा केन्द्र में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारी जिला कार्यालय के अटल सेवा केन्द्र में उपस्थित रहते हुए माह जून 2019 तक आयोजित समस्त 'जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान शिविरों', राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दीर्घावधि से लंबित प्रकरणों एवं समितियों के लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण कर पालना रिपोर्ट सहित बैठक में अपनी व्यक्तिशः उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। 10प

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।



(महेन्द्र सोनी)

जिला कलेक्टर

जालोर

क्रमांक : सतर्कता/राज.सम्पर्क/ऑनलाईन/2019/ 1044-1089

दिनांक :- 14-6-2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

02.माननीय सांसद, जालोर-सिरोही।

02.श्री.....माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र, .....

03.माननीय जिला प्रमुख, जालोर।

04.जिला पुलिस अधीक्षक जालोर।

05.समस्त उपखण्ड अधिकारीगण को भेजकर कर लेख है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ संबंधित पंचायत समिति के अटल सेवा केन्द्र में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें एवं जिला स्तर से संबंधित परिवेदनाएं प्राप्त कर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिविर में सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

10. उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जालोर को भेजकर लेख है दिनांक 13.06.2019 को 03.00 बजे तक समस्त पंचायत समितियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोडने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं उक्त कार्यक्रम की सूचना जिले की वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11.जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जालोर को भेजकर लेख है कि उपर्युक्त कार्यक्रम का उचित माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

12.समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण जिला जालोर को पालनार्थ ।

13.....



जिला कलेक्टर जालोर